| तारीख हुक्म | हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>श्री बलवन्त लूणिया पुत्र श्री खीवाराम लुणिया निवासी सिरवियों का बास, चण्डावल नगर, तहसील सोजत पाली (राज.)<br>बनाम<br>लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत<br>प्रथम सूचना अपील संख्या :– 62 / 2024<br>जीसीएमएस नं. :– 2024 / 115<br>(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **08.08.2024** | –: निर्णय :–<br><br>1. पत्रावली आज पेश हुई ।<br><br>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।<br><br>3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, सोजत से संबंधित होने के कारण आरटीआई की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय के पत्र द्वारा विकास अधिकारी, सोजत को निर्धारित समयावधि में हस्तांतरण करते हुए वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।<br><br>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी सोजत को निर्धारित समयावधि में स्थानान्तरित कर दिया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी सोजत को आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए।<br><br>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी सोजत को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे।<br><br>6. निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।<br><br>(एल.एन. मंत्री)<br>प्रथम अपीलीय अधिकारी<br>लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली | |